रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022024-252412
CG-DL-E-27022024-252412

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 882]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2024/फाल्गुन 8, 1945
No. 882]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2024/PHALGUNA 8, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

का.आ. 924(अ).—जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जिसे इसमें इसके पश्चात जेईआई कहा गया है) उन गतिविधियों में शामिल रहा है, जो आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के प्रतिकूल हैं, और देश की एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता रखते हैं;

और, केंद्रीय सरकार ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (वर्ष 1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का. आ. 1069 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2019 द्वारा जेईआई को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया;

और, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात न्यायाधिकरण कहा गया है) का गठन विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अधीन यह निर्णय लेने के लिए किया गया था कि जेईआई को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं और न्यायाधिकरण ने अपने आदेश द्वारा, प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3155 (अ) तारीख 30 अगस्त, 2019 द्वारा, इस प्रकार की गई घोषणा की पुष्टि की है;

और, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन पाबंदी की घोषणा तारीख 27 फरवरी, 2024 को समाप्त हो जाएगी;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि जेईआई उन गतिविधियों में शामिल है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं, अर्थात्: -

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जेईआई) के सदस्यों और कैडरों के विरुद्ध निधि एकत्र करने और उसका उपयोग हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के चलते भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 124क और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 39 के अधीन मामला अपराध संख्या आरसी-03/2021/एनआईए/डीएलआई दर्ज किया गया है। इन निधियों का उपयोग हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकवादी संगठनों के सक्रिय कैडरों और सदस्यों द्वारा अपने कैडरों के एक सुस्थापित नेटवर्क के माध्यम से हिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, लोक अशांति और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए भी किया गया, इस प्रकार, इससे जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश में भय और असुरक्षा की भावना फैली। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा अमीर मोहम्मद शम्सी, चीफ एग्जीक्यूटिव, अल-हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट (एएचईटी) सहित जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर (जेईआई) के सदस्यों और कैडरों के विरुद्ध फरवरी, 2019 में जेईआई पर प्रतिबंध के पश्चात भी इसके नाम पर एएचईटी, राजौरी के माध्यम से निधि प्राप्त करने के चलते भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 153क और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 22ग के अधीन, मामला अपराध संख्या आरसी-07/2022/एनआईए/जेएमयू दर्ज किया गया है। सदस्यों द्वारा निधि का उपयोग जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया गया। एएचईटी का गठन जेईआई के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया था और आरोपी अमीर मोहम्मद शम्सी सहित, 7 शीर्ष नेता एएचईटी के ट्रस्टी थे। मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

(3) भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जेईआई के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन बारामूला पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 31/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(4) आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर जेईआई के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन बोमई पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 11/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(5) आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए जेईआई के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन डांगीवाचा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 22/2019 दर्ज किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(6) विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने, आम जनता पर अलगाववाद के लिए अपना संघर्ष जारी रखने के लिए जोर देने और सरकार के विरुद्ध आम जनता के बीच दुश्मनी पैदा करने और शांति और सद्भावना को बाधित करने के इरादे से युवाओं को भड़काने के लिए जेईआई के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन सोपोर पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 41/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(7) प्रतिबंधित जेईआई हेतु निधि इकट्ठा करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11 के अधीन जेईआई के सदस्य के विरुद्ध बारामूला पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 68/2022 दर्ज किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(8) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन जेईआई के एक पदाधिकारी के विरुद्ध बांदीपोरा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 19/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(9) राज्य आदि की अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन जेईआई के एक सदस्य के विरुद्ध हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 29/2019 दर्ज किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(10) राष्ट्र आदि की अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन जेईआई के एक सदस्य के विरुद्ध हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 31/2019 दर्ज किया गया है। । मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(11) जेआई के एक सदस्य के विरुद्ध उसकी गतिविधियों के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन क्रालगुंड पुलिस स्टेशन में केस अपराध संख्या 10/2019 दर्ज किया गया है, जो राष्ट्र आदि की अखंडता के प्रतिकूल हैं। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(12) पुलवामा पुलिस स्टेशन में जेईआई के एक सदस्य के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन उन गतिविधियों के लिए मामला अपराध संख्या 25/2019 दर्ज किया गया है, जो राष्ट्र की अखंडता के प्रतिकूल हैं। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(13) देश विरोधी गतिविधियों आदि हेतु निधि जुटाने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध शोपियां पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 27/2019 दर्ज किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(14) जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन अनंतनाग पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 18/2019 दर्ज किया गया है, जो जेईआई कैडर आदि की मदद से राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने की योजना बना रहे हैं। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(15) भारत की एकता, सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुप्त बैठकें आयोजित करने, प्रतिबंधित संगठन को अन्य निर्धारित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन में शामिल होने के प्रति लोगों को विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने मे सक्षम बनाने के लिए वित्त और अन्य रसद मुहैया कराने, पड़ोसी देश से सक्रिय फरार आतंकवादियों के साथ समन्वय करने और उनसे निधि इकट्ठा करने और क्षेत्र में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क स्थापित करने को लेकर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 11, 13, 18 के अधीन जेईआई के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अचबल पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 65/2021 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(16) युवाओं को विरोध प्रदर्शन/पत्थरबाजी हेतु उकसाने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध गांदरबल पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 32/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(17) वित्तपोषण और अन्य तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और अपने उस एजेंडा को हासिल करने को लेकर, जिससे देश की सुरक्षा, एकता/संप्रभुता को खतरे में डाला जा सके, बैठक/जुलूस आयोजित करने के लिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अधीन जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध कंगन पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 14/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(18) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन पंपोर पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 5/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(19) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 12, 13 के अधीन त्राल पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 14/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(20) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 25/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(21) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन चारी-ए-शरीफ पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 5/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(22) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन खाग पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 9/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(23) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन मगाम पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 17/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(24) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन खान-साहिब पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 20/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(25) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन बीरवाह पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 24/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(26) राष्ट्र आदि की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों हेतु जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों के उपयोग को लेकर जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन चदूरा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 33/2019 दर्ज किया गया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(27) राष्ट्र की संप्रभुता आदि के लिए हानिकारक क्रियाकलाप के लिए जेईआई के कार्यालयों/संस्था के उपयोग के अपराध में जेईआई के सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन बडगाम पुलिस स्टेशन में मामला अपराध सं 42/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(28) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता देने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुड़े विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र में शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के अधीन कुंड पुलिस स्टेशन में मामला अपराध सं 3/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(29) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता देने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुड़े विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र में शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन मंजगाम पुलिस स्टेशन में मामला अपराध सं 4/2019 दर्ज किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(30) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता देने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुड़े विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र में शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)

अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन देवसर पुलिस स्टेशन में मामला अपराध सं 12/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(31) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता देने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुड़े विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र में शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन कुलगाम पुलिस स्टेशन में मामला अपराध सं 18/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(32) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता देने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुड़े विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र में शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन काज़ीगुंड पुलिस स्टेशन में मामला अपराध सं 27/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(33) युवाओं को आतंकवाद के लिए प्रेरित करने और उकसाने, जो देश की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सहित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के अधीन परीमपोरा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध सं 63/2019 रजिस्टर किया गया है। जेईआई के कार्यकर्ता लोगों को राष्ट्र के विरुद्ध भड़काने, उग्रवाद को बढ़ावा देने आदि में भी शामिल हैं। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(34) एक विधिविरुद्ध संगम घोषित होने के उपरान्त भी जेईआई के कार्यालयों और संस्थानों का विभिन्न विधिविरुद्ध और वित्तीय गतिविधियों के लिए उपयोग करने के अपराध में जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11 और 13 के अधीन बटमालू पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 17/2019 रजिस्टर किया गया है । मामला न्यायलय के समक्ष विचाराधीन है;

(35) एक विधिविरुद्ध संगम घोषित होने के उपरान्त भी जेईआई के कार्यालयों/संस्थानों का विभिन्न विधिविरुद्ध और वित्तीय गतिविधियों के लिए उपयोग करने के अपराध में जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11 और 13 के अधीन हारवान पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 4/2019 रजिस्टर किया गया है । मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(36) जेईआई पर प्रतिबंध के उपरान्त भी अपनी गतिविधियों को जारी रखने, जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं, के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अधीन पीरमिठा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 14/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(37) प्रतिबंधित संगठन जेईआई के लेटर पैड/दस्तावेज जैसी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी और अभिग्रहण के उपरान्त विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 और 39 के अधीन जेईआई के सदस्यों के खिलाफ पीरमिठा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 27/2022 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(38) जेईआई के विधिविरुद्ध संगम घोषित होने के उपरान्त भी आरोपी को पदाधिकारी अर्थात अमीर-ए-जमात बनाए रखने के लिए जेईआई के सदस्य के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अधीन बनिहार पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 19/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(39) जेईआई के नाम पर मदरसा चलाने के लिए जेईआई के सदस्य के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अधीन राजौरी पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 91/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(40) जेईआई को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के उपरान्त भी अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों को जारी रखने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की

उपधारा 3 और धारा 10 के अधीन किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 27/2019 रजिस्टर किया गया है। जेईआई के इन सदस्यों ने न तो जेईआई से त्यागपत्र दिया है और न ही अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियां बंद की हैं । मामला अन्वेषण के अधीन है;

(41) प्रतिबंधित जेईआई की ओर से सक्रिय रूप से बैठकों के समन्वय, व्यवस्था और भागीदारी और साथ ही धन एकत्रित करने द्वारा अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियां को जारी रखने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 12, 13 और 39 के अधीन सीआईके पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 4/2023 रजिस्टर किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(42) विधिविरुद्ध गतिविधियों को जारी रखने और साथ ही प्रतिबंधित जेईआई के लिए धन तथा संपत्ति के संग्रह और प्रबंधन तथा आतंकी संगठनों के साथ निकट संपर्क रखने और जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में उग्रवाद और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 12, 13 और 39 के अधीन सीआई जेआईसी, जम्मू पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 2/2023 रजिस्टर किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(43) देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक विधिविरुद्ध और वित्तीय गतिविधियों के लिए जेईआई के कार्यालयों और संस्था का उपयोग करने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11 और 13 के अधीन एसआईए कश्मीर पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 17/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(44) आतंकवादी संगठनों के सक्रिय समर्थन और वहां चल रहे अलगाववादी सह आतंकवादी कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए स्थानीय युवाओं तथा संस्थान के विद्यार्थियों को गुप्त रूप से उकसाने और प्रेरित करने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 और 120ख और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 और 38 के अधीन एसआईए कश्मीर पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 14/2021 रजिस्टर किया गया है। मामला अन्वेषण के अधीन है;

(45) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता पहुंचाने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुड़े विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र की शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध डी एच पोरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के अधीन मामला अपराध संख्या 9/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(46) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता पहुंचाने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुड़े विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र की शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध कैमोह पुलिस स्टेशन में रणबीर दंड संहिता की धारा 153, 120, 506 और 151 के अधीन मामला अपराध संख्या 11/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

(47) आतंकियों से निकट संपर्क और उन्हें सहायता पहुंचाने, क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए धन जुटाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और जेईआई से जुडे विज्ञापन के प्रकाशन, क्षेत्र के युवाओं में भारत सरकार तथा जम्मू - कश्मीर सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और क्षेत्र की शांति और प्रशांति भंग करने के लिए दूसरी गतिविधियां चलाने के लिए जेईआई के सदस्यों के विरुद्ध यारीपोरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 506 के अधीन मामला अपराध संख्या 12/2019 रजिस्टर किया गया है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;

और जबकि, उपर्युक्त आधारों पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि:-

(i) जेईआई आतंकी संगठनों के साथ निकट संपर्क में है और जम्मू-कश्मीर और अन्य स्थानों पर निरंतर आतंकवाद और उग्रवाद का समर्थन कर रहा है;

(ii) जेईआई भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को संघ से अलग करने के दावों का समर्थन कर रहा है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने वाली गतिविधियों और अभिव्यक्तियों में शामिल होकर इस प्रयोजन से लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है;

(iii) जेईआई देश में असंतोष पैदा करने के आशय से की जा रहीं राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है;

और जबकि, केंद्र सरकार की यह भी राय है कि यदि जेईआई की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो वह निम्नलिखित के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा -

(i) विधि द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करते हुए भारत संघ में से एक इस्लामिक राज्य बनाने के प्रयत्न सहित अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाना;

(ii) जम्मू - कश्मीर राज्य के भारत संघ के साथ विलय पर विवाद करते हुए उसे भारत संघ से पृथक करने का पक्षपोषण जारी रखना;

(iii) देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करना; और

(iv) अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ाना, उग्रवाद का समर्थन करना और देश में हिंसा भड़काना;

और जबकि, उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जेईआई की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जेईआई) को 'तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जेईआई) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जेईआई) को तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14017/20/2023-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

S.O. 924(E).—Whereas the Jamaat-e-Islami, Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as the JeI) has been indulging in activities, which are prejudicial to internal security and public order and have the potential of disrupting the unity and integrity of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the JeI as an unlawful association, *vide,* notification number S.O. 1069 (E), dated the 28th February, 2019;

And, whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal), constituted under section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the JeI as an unlawful association, by its order published, *vide,* notification number S.O. 3155 (E), dated the 30th August, 2019 has confirmed the declaration so made;

And, whereas, the declaration of ban under sub-section (1) of section 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, ceases on the 27th day of February, 2024;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that JeI is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country, *inter alia*, on the following grounds, namely:-

(1) Case Crime No. RC-03/2021/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against members and cadres of Jamaat-e-Islami, Jammu and Kashmir (JeI) under sections 120B and 124A of the Indian Penal Code and sections 10, 13 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for collection of funds and used to encourage violent and secessionist activities. The funds were also used by the active cadres and members of Hizb-ul-Mujahideen, Lashkar-e-Taiba and other terrorist organisations through a well-established network of their cadres to organise violent protests, create public unrest and communal disharmony, thus creating a sense of fear and insecurity in Jammu and Kashmir and all over the country. The case has been charge-sheeted;

(2) Case Crime No. RC-07/2022/NIA/JMU has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against members and cadres of Jamaat-e-Islami, Jammu and Kashmir (JeI) including Ameer Mohammed Shamsi, Chief Executive, Al-Huda Educational Trust (AHET) under sections 120B and 153A of the Indian Penal Code and sections 10, 13 and 22C of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for receiving the funds through AHET, Rajouri in the name of JeI even after its ban in February, 2019. The funds were used by the Members in anti-national activities in the region of Jammu and Kashmir. The AHET was formed by the top leadership of JeI and seven top leaders including accused Ameer Mohammed Shamsi were the Trustees of AHET. The case has been charge-sheeted;

(3) Case Crime No. 31/2019 has been registered at Baramulla Police Station under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against JeI for carrying out activities against the integrity and sovereignty of India. The case is under trial before court;

(4) Case Crime No. 11/2019 has been registered at Bomai Police Station under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against workers of JeI for supporting terrorist organisations and intending to disrupting the territorial integrity of India and involvement in subversive activities. The case is under trial before court;

(5) Case Crime No. 22/2019 has been registered at Dangiwacha Police Station under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against workers of JeI for supporting terrorist organisations and disrupting the territorial integrity of India. The case is under investigation;

(6) Case Crime No. 41/2019 has been registered at Sopore Police Station under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against workers of JeI for involvement in subversive activities and supporting terrorist organisations for promoting militancy in area, insisting general public to continue their struggle for separatism and provoking the youth with the intention to create antagonism among the general masses against the Government and disrupting the peace and tranquility. The case is under trial before court;

(7) Case Crime No. 68/2022 has been registered at Baramulla Police Station against member of JeI under sections 10 and 11 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for collection of funds for banned JeI. The Case is under investigation;

(8) Case Crime No. 19/2019 has been registered at Bandipora Police Station against an office bearer of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The case is under trial before court;

(9) Case Crime No. 29/2019 has been registered at Handwara Police Station against a member of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for his activities, which are prejudicial to the integrity of the State etc. The case is under investigation;

(10) Case Crime No. 31/2019 has been registered at Handwara Police Station against a member of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for his activities, which are prejudicial to the integrity of the State etc. The case is under trial before court;

(11) Case Crime No. 10/2019 has been registered at Kralgund Police Station against a member of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for his activities, which are prejudicial to the integrity of the State etc. The case is under trial before court;

(12) Case Crime No. 25/2019 has been registered at Pulwama Police Station against a member of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for activities, which are prejudicial to the integrity of the State. The case is under investigation;

(13) Case Crime No. 27/2019 has been registered at Shopian Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for raising funds for anti-national activities etc. The case is under investigation;

(14) Case Crime No. 18/2019 has been registered at Anantnag Police Station against members of JeI under Sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for planning to disrupt sovereignty and integrity of nation by aid of JeI cadre etc. The case is under trial before court;

(15) Case Crime No. 65/2021 has been registered at Achabal Police Station against activists of JeI under sections 11, 13 and 18 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for organising secret meetings, arranging finance and other logistic to enable the banned organisation to run its unlawful activities with motive of inducing people especially youth to join other prescribed terrorist outfit Hizb-ul Mujahidin, coordinating with absconding militants operating from neighboring country and collecting funds from them and to establish a large terror network in the area with intend to threaten the unity, security, integrity and sovereignty of India. The case is under trial before court;

(16) Case Crime No. 32/2019 has been registered at Ganderbal Police Station against members of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for instigating the youths for protests/ stone pelting. The case is under trial before court;

(17) Case Crime No. 14/2019 has been registered at Kangan Police Station against members of JeI under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for conduct of meeting and procession in order to carry out anti-national activities through funding and other means and to achieve their agenda, thereby endangering the security, unity and sovereignty of the country. The case is under trial before court;

(18) Case Crime No. 5/2019 has been registered at Pampore Police Station against members of JeI under section 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for using offices and institutions of JeI for the activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under trial before court;

(19) Case Crime No. 14/2019 has been registered at Tral Police Station against members of JeI under sections 10, 12 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under trial before court;

(20) Case Crime No. 25/2019 has been registered at Awantipora Police Station against members of JeI under section 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under trial before court;

(21) Case Crime No. 5/2019 has been registered at Chari-e-sharief Police Station against members of JeI under section 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under investigation;

(22) Case Crime No. 9/2019 has been registered at Khag Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under investigation;

(23) Case Crime No. 17/2019 has been registered at Magam Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under investigation;

(24) Case Crime No. 20/2019 has been registered at Khan-Sahib Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under trial before court;

(25) Case Crime No. 24/2019 has been registered at Beerwah Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under trial before court;

(26) Case Crime No. 33/2019 has been registered at Chadoora Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under trial before court;

(27) Case Crime No. 42/2019 has been registered at Budgam Police Station against members of JeI under section 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for activities which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under trial before court;

(28) Case Crime No. 3/2019 has been registered at Kund Police Station against members of JeI under section 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under trial before court;

(29) Case Crime No. 4/2019 has been registered at Manzgam Police Station against members of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under trial before court;

(30) Case Crime No. 12/2019 has been registered at Devsar Police Station against members of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under Investigation;

(31) Case Crime No. 18/2019 has been registered at Kulgam Police Station against members of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under Investigation;

(32) Case Crime No. 27/2019 has been registered at Qazigund Police Station against members of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under Investigation;

(33) Case Crime No. 63/2019 has been registered at Parimpora Police Station against members of JeI under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for antinational activities including motivating and pushing the youths towards militancy which is great threat to the sovereignty of the country. Activists of the JeI are also involved in provoking the people against the state, encouraging militancy etc. The case is under Investigation;

(34) Case Crime No. 17/2019 has been registered at Batmaloo Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for various unlawful and financial activities even after its declaration as an unlawful association. The case is under trial before court;

(35) Case Crime No. 4/2019 has been registered at Harwan Police Station against members of JeI under section 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for various unlawful and financial activities after its declaration as an unlawful association. The case is under trial before court;

(36) Case Crime No. 14/2019 has been registered at Peermitha Police Station against members of JeI under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for continuation of their activities even after banning of JeI which are harmful for the sovereignty of nation etc. The case is under investigation;

(37) Case Crime No. 27/2022 has been registered at Peermitha Police Station against members of JeI under sections 10, 13 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 after recovery and seizure of objectionable material viz. letter pads and documents of banned outfit JeI. The case is under trial before court;

(38) Case Crime No. 19/2019 has been registered at Banihar Police Station against member of JeI under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for continuation of accused as office bearer i.e. Ameer-e-Jamat of JeI even after its declaration as an unlawful association. The case is under trial before court;

(39) Case Crime No. 91/2019 has been registered at Rajouri Police Station against member of JeI under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for running a Madrassa on the name of JeI. The case is under investigation;

(40) Case Crime No. 27/2019 has been registered at Kishtwar Police Station against members of JeI under sub-section (3) of section 3 and 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for continuation of their unlawful activities even after declaration of JeI as an unlawful association. These members of JeI have neither resigned from the JeI nor have stopped their unlawful activities. The case is under investigation;

(41) Case Crime No. 4/2023 has been registered at CIK Police Station against members of JeI under sections 10, 11, 12, 13 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for continuation of unlawful activities by

actively conducting coordinating, arranging and participating meetings on behalf of banned JeI as well as collection of funds. The case is under investigation;

(42) Case Crime No. 2/2023 has been registered at CI JIC, Jammu Police Station against members of JeI under sections 10, 11, 12, 13 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for continuation of unlawful activities as well as collection and management of funds and properties for banned JeI and close touch with terrorist outfits and supporting extremism and terrorism in various districts of Jammu region. The case is under investigation;

(43) Case Crime No. 17/2019 has been registered at SIA Kashmir Police Station against members of JeI under sections 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for use of offices and institution of JeI for unlawful and financial activities which are harmful for the security of country etc. The case is under trial before court;

(44) Case Crime No. 14/2021 has been registered at SIA Kashmir Police Station against members of JeI under sections 467, 468 and 120B of Indian Penal Code and sections 13 and 38 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for active support of terrorist organisations as well as covertly instigating and motivating local youth and students of the institution to support the ongoing secessionist cum-terrorist programmes. The case is under investigation;

(45) Case Crime No. 9/2019 has been registered at D H Pora Police Station against members of JeI under section 153 of the Indian Penal Code for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under trial before court;

(46) Case Crime No. 11/2019 has been registered at Qaimoh Police Station against members of JeI under sections 153, 120, 506 and 151 of Ranbir Penal Code for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under trial before court;

(47) Case Crime No. 12/2019 has been registered at Yaripora Police Station against members of JeI under sections 153 and 506 of the Indian Penal Code for close contacts and providing assistance to terrorists, collection of funds for advancing terrorist activities in the area, publication of advertisement with respect to banned terrorist organisation Hizb-ul-Mujahideen and JeI, causing disaffection among youth of the area against Government of India and Jammu and Kashmir and other related activities in order to disrupt the peace and tranquility in the area etc. The case is under trial before court;

And, whereas, on the basis of above grounds the Central Government is of the opinion that:-

(i) JeI is in close touch with militant outfits and is continuously supporting extremism and militancy in Jammu and Kashmir and elsewhere;

(ii) JeI is supporting claims for secession of a part of the Indian territory from the Union and supporting terrorist and separatist groups fighting for this purpose by indulging in activities and articulations intended to disrupt the territorial integrity of India;

(iii) JeI is involved in anti-national and subversive activities in the country intended to cause disaffection;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if the unlawful activities of the JeI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to –

(i) escalate its subversive activities including attempt to carve out an Islamic State out of the territory of Union of India by destabilising the Government established by law;

(ii) continue advocating the secession of the State of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing the accession of the State with the Union;

(iii) propagate anti-national and separatist sentiments prejudicial to the integrity and security of the country; and

(iv) escalate secessionist movements, support militancy and incite violence in the country;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the JeI, it is necessary to declare the Jamaat-e-Islami, Jammu and Kashmir (JeI) as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jamaat-e-Islami, Jammu and Kashmir (JeI) as an unlawful association.

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Jamaat-e-Islami, Jammu and Kashmir (JeI) as an 'unlawful association' with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.14017/20/2023-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA